

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**ORIGINAL APPLICATION NO 197/2024 (CZ)**

**RAMESHWAR SINGH**

**...Applicant(s)**

**Vs.**

**STATE OF MADHYA PRAESH& Ors.**

**....Respondent(s)**

**INDEX**

<b>Sr</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>ANNEXURE</b>	<b>PAGE NO</b>
1.	Action taken Report on behalf of MP PCB		1-5
2.	Copies of Letters issued to respondent for appearing before the Hon'ble Tribunal	R-1	6-18
3.	Service Reports of the Email served to the respondent stone crushing units	R-2	19-85
4.	Closure Orders issued to Thirty Two Stone Crusher Units	R-3	86-151
5.	Copy of Letter no. 927 of MP PCB dated 21.04.2025	R-4	152-156
6.	Closure Orders issued to Nineteen Stone Mines	R-5	157-193
7.	EC Calculation Sheet of Thirty Two Stone Crusher Units along with the assessment of days of violation	R-6	194-207
8.	Vakalatnama		208
9	Proof of Service		209

**Place: Bhopal**

**FILED BY MPPCB**

**Date: 07.07.2025**



**ADV PARUL BHADORIA**  
**Advocate for MPPCB**  
**Ph.No.:(+91)-8085977111;**  
**Email: parul.bhadoria04@gmail.com**

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**  
**ORIGINAL APPLICATION NO 197/2024 (CZ)**

**RAMESHWAR SINGH**

**...Applicant(s)**

**Vs.**

**STATE OF MADHYA PRAESH& Ors.**

**....Respondent(s)**

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF MADHYA PRADESH**  
**POLLUTION CONTROL BOARD**

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HERE IN UNDER:-

1. That, the present application is related to illegal operations of stone crushers in village Billua along Ghonga road in District Gwalior and the non-compliance of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

**SERVICE OF NOTICES**

2. That the MPPCB had filed the Joint Committee report before the Hon'ble Tribunal on 13.11.2024. The Hon'ble Tribunal had directed the MP PCB to serve notices to the respondents vide order 13.11.2024. In compliance of this order the MP PCB had served the notice to thirteen stone crushers who were initially impleaded in the OA. The copies of the relevant letters are collectively filed herewith as **Annexure R-2**.
3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 01.04.2025 had directed the MP PCB to serve the notices to the respondent stone crusher unit through Email. In compliance of the above order MP PCB had served the notices to all the thirty two stone crushers who were found in violation during inspection vide

email on 08.04.2025. The service reports of all the mails are collectively filed herewith as **Annexure R-2**.

### **CLOSURE ORDERS**

4. That the present case involved 36 stone crushing units. Out of these 36 units 34 units were operational on the date of the date of inspection and 2 stone crusher units were found permanently closed as reported in JCR dated 13.11.2024 also. All the 34 units were issued closure notices under Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 read along with Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
5. That after the issuance of the closure notices two stone crusher units (DDA Stone crusher and Shiv Shankar stone industry) had complied with directions and had installed air pollution APCD. The remaining thirty two units were issued closure directions for non-compliance of the directions issued. The MP PCB had also revoked the consent granted to these stone crushers for non-compliance of the terms and conditions. The MP PCB had written to the General Manager, Madhya Pradesh VidhyutVitaran Company, Motijeel, Gwalior to cut off electrical supply of all these thirty two stone crushing units in order to ensure that the closure orders are implemented as mentioned in all the closure orders. Further MP PCB had also written to the concerned Mining Officer to ensure that all the pollution norms are complied with. The copy of all the closure orders is collectively filed herewith as **Annexure R-3**.
6. That after the issuance of closure orders one stone crushing unit (AVP Infratech) had complied with the directions and thus the closure order was

revoked by the MP PCB. That the remaining thirty one closure orders are in effect till present date. Since none of the stone crushing unit had stopped its operations despite the issuance of closure orders therefore the MP PCB under Section Section 33A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 read along with Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 had directed the General Manager, Madhya Pradesh VidhyutVitaran Company, Motijeel, Gwalior to cut off electrical supply of all these thirty one units which were in non-compliance of the closure orders issued. However no effective action was taken by the electricity department. The copy of direction issued to electricity department vide letter dated 21.04.2025 along with the list enclosed is filed herewith as **Annexure R-4**.

7. That since the violating units had not complied with the directions issued the MP PCB had identified nineteen mines connected with the 19 concerned crushing units and therefore these 19 mines have also been issued closure directions which are filed herewith as **Annexure R-5**.
8. That the 31 crusher units have not complied with the closure directions issued by MPPCB and they have been continuing their operations. However, after the issuance of closure directions 20 units had informed to the MP PCB regarding the installation of the air pollution control devices and compliance of the terms and condition of the consent granted. The MP PCB had visited the units for verification of the same and it was found that these units have now installed Air Pollution Control Devices. However, since they failed to comply with the closure orders and continued their operations despite revocation of their consent, the MPPCB has not revoked their closure orders.

Further remaining 11 units have not installed APCD and are still in non-compliance till present date.

**LEVY OF ENVIRONMENTAL COMPENSATION**

9. That the MP PCB most humbly submits that for the period of violation the environmental compensation has been assessed in terms of the CPCB guidelines. In cases of compliance of directions, the EC is imposed from the date of inspection by joint committee(day of violation observed) to the date of compliance as submitted by the concerned project proponent. In cases of non-compliance of directions it is proposed to levy EC upto 04.07.2025 on the violators. The EC Calculation sheet as per CPCB Guidelines along with the assessment sheet of days of violation is filed herewith as **Annexure R-6.**
  
10. That the MP PCB most humbly submits that the revocation of 31 closure orders may only be considered after the realisation of final Environmental Compensation as directed by the Hon'ble Tribunal.
  
11. The Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take the present action taken report on record..

**Place: BHOPAL**

**FILED BY MP PCB**

**Date: 07.07.2025**



**ADV PARUL BHADORIA**  
**Advocate for MPPCB**  
**Ph.No.:(+91)-8085977111;**  
**Email: parul.bhadoria04@gmail.com.**

# ANNEXURE R-1



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3973 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

अभिप्रेत,

मेसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन एण्ड केशर

सर्वे क. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3689/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1

ग्राम - बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अचुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुज्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रैस्पॉडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सैंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपको और सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/24



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3972/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक

19/12/2024

प्रति,

अधिकार

मेसर्स ओम श्री केशर स्टोन

खसरा क. 3647 से 3649, 3651, 3699, 2763,

घोंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रिडिंग  
19/12/24



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3971 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024


ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

श्रीमती  
मेसर्स स्वास्तिक इन्फ्रास्ट्रक्चर  
ग्राम-बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार हैं। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रैस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को चिंतन है।

  
(आर.आर.सिंह सेंगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
sk

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

For: Swastik Infrastructure  
8-19/12/24  
19/12/24 Part



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwallior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3970 /कोकाप्रनिबो/ग्वा/2024  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर,

सर्वे क. 2759, 2760/1, 2761 एवं 3650

ग्राम -बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुज्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को विधित है।

(आर.आर.सिंह सेगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



19/12/24



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3969 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक

12/12/2024

प्रति,

श्री विष्णु

मेसर्स मां कैलादेवी स्टोन केशर

सर्वे क. 2767, 2768, 2769 बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर

विषय:-

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सौरे द्वारा प्राप्त किया गया -

AJEEET KUMAR

7726869680



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwallor@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3988 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अधिष्ठाता

मेसर्स श्रीराम दूत स्टोन केशर  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:-

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटैनर सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18-12-24  
9265987818  
18-12-24



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3967 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अभिष्मता

मेसर्स टेलीवर्ल्ड माइन्स प्रा.लि.

सर्वे क. 2776/2 के, 2776/2ख,

ग्राम-बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुज्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3966 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अधिष्ठाता

मेसर्स वैभव ग्रेनाईट स्टोन केशर

सर्वे क. 2769/2के, 2769/2 ख,

बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर

विषय:-

माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अचुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्राप्त किया गया



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3965 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

सचिव,  
मेसर्स आर कोन स्टोन केशर  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुज्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार हैं। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रैस्पॉण्डेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/2024



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwallior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 3964 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स सर्वोदय मैन्युफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर,

सर्वे क. 3605/2/2

ग्राम -बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को विद्यत है।

श्री आर.आर.सिंह (सि.प्र.)

दिनांक 12/12/24

स.प्र.

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 3962 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अधिष्ठाता  
मेसर्स श्री हरदोल ग्रेनाईट,

सर्वे क. 129 ग्राम-रफादपुर, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर

जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार हैं। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

ml  
20/12/24  
18/12/24



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 3960 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024


ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अधिष्ठाता,  
मेसर्स राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
सर्वे क. 2776/2  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

  
(आर.आर.सिंह सेंगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क्र. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 3961 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2024

ग्वालियर, दिनांक 12/12/2024

प्रति,

अभिषेक

मेसर्स श्री हरदोल ग्रेनाईट, (यूनिट-2)

सर्वे क. 129,131, ग्राम-रफादपुर, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13/11/2024 के अनुपालन बावत्।

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2024 एवं शिकायत पत्र की प्रतियां संलग्नक-1 अनुसार है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 13.11.2024 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है। (संलग्नक-2) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जवाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.01.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SK

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल मुख्यालय के पत्र क. 3922/विधि/एनजीटी(सीजेड)/प्रनिबो/24 दिनांक 26.11.2024 के परिपेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

## ANNEXURE R-2



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 713  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन केशर,  
खसरा न. 3626/2, 3609/7, 3626/1, चौघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 714 /  
प्रति,

क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04 / 04 / 2025

मेसर्स जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
खसरा क. 2727, 2728 एवं 2757 घोंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:-माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 746 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025 ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025  
प्रति,

मेसर्स शिव शंकर स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
खसरा नं. 3609/1, 3609/5, घोंघारोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 745 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04 /2025

प्रति,

मेसर्स डी.डी.ए. स्टोन केशर,

खसरा क. 3596/2/2, 3642, 3643, 3644/2, 3645 एवं 3673

घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

विषय:-

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

W

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SAC

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 742 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स रितुराज स्टोन केशर,  
खसरा न. 117 ग्राम रफादपुर,  
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 719  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025


ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर,  
खसरा न. 3646,3647,3671 एवं 3596/2/1, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

  
(आर.आर.सिंह सेंगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी  


प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 715 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04 /2025

मेसर्स न्यू जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
खसरा क. 2727/8, एवं 2758,  
घोंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:-माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 741  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन केशर,

खसरा न. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6,  
3583/1, 3588/3, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:-

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

g/c

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

su

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 722 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04 /2025

मेसर्स श्री साई कृपा स्टोन केशर एण्ड सप्लायर्स,  
खसरा न. 3707/1,3707/3 एवं 3629/1, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 723 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स कमल बजाज, (पुराना नाम-मेसर्स झूलेलाल ग्रेनाईट)  
खसरा न. 3624/2/3, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 724 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,


ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स बारी स्टोनेक्स, खसरा न. 3625/2, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 730 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04 / 04 / 2025

मेसर्स बालाजी स्टोन केशर,  
खरसरा न. 3624/2, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 731  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04 / 04 / 2025

मेसर्स गिराज स्टेन केशर,  
खसरा न. 3624/2/6, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

o/c

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 733 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा,  
खसरा न. 3590/1/1 एवं 3593/1/1, घोंघा रोड़,  
ग्राम बिलौआ,  
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

0/11

(आर.आर.सिंह सेंगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 732 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग,  
खसरा न. 3624/2/5, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 738

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स श्रीजी इन्फ्राकॉन,  
खसरा न. 3590/1, 3590/2,  
ग्राम बिलौआ,  
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

o/c

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 739  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स स्तुति स्टोन कशिग कम्पनी,  
खसरा न. 3577,3579/7, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

ge

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

sa

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 740  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसेर्स महादेव स्टोन इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर),  
खसरा न. 3579/1, 3579/4, 3588/6, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SAC

9/1

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 729 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04 /2025

मेसर्स गुरुकृपा स्टोन केशर,  
खसरा न. 132,133 घौंघा रोड,  
ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 726 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

मेसर्स पवन पुत्र इंटरप्राइजेज,  
खसरा न. 3707, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 725

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025


प्रति,

मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक,  
खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

-----0-----

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

  
(आर.आर.सिंह सेंगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी  


प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्र. १३७

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

04/04/2025

प्रति.

अधिष्ठाता,  
मेसर्स राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज,  
सर्वे क्र. 2776/2  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:-

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बाबत। इस कार्यालय का पत्र क्र. 3960 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 747 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स स्वास्तिक इन्फाइनस्ट्रक्चर  
ग्राम-बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3971 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

Slk

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 718 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

प्रति,

मेसर्स सिद्धि विनायक स्टोन एण्ड केशर,  
खसरा न. 3596/1, 3595/3, घौंघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3973 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SE

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक ५२० /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/२०२५  
/२०२५  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक ०५/०५/२०२५

अधिष्ठाता,  
मेसर्स श्री गणेश स्टोन केशर  
सर्वे क. ३६०५/२/१, ३६०६/१  
ग्राम- बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)  
विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. १९७/२०२४ (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक ०१/०४/२०२५ के अनुपालन बावत्।  
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. ३९६३ दिनांक १२/१२/२०२४

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक २५.०६.२०२४ पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. १९७/२०२४ (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक ०१.०४.२०२५ को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए ३ सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-१) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक ०८.०७.२०२५ को नियत है।

०५/५

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

४९

प्रतिलिपि:-

१. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
२. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
३. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
४. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-६०९, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 744 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

/2025

प्रति,

मेसर्स आर कोन स्टोन केशर (मेसर्स ए.व्ही.पी इन्फ्राटेक)  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3965 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 721 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

04/04/2025

/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,  
मेसर्स सर्वोदय मैनुफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर,  
सर्वे क्र. 3605/2/2

ग्राम -बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3964 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 734

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

/2025

प्रति,

मेसर्स वैभव ग्रेनाईट स्टोन केशर  
सर्वे क. 2769/2के, 2769/2 ख,  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3966 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पॉन्डेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

/

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 716

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04 / 04 / 2025

/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर,

सर्वे क. 2759, 2760/1, 2761 एवं 3650

ग्राम -बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3970 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SL

o/c

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 743 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

/2025


प्रति,

मेसर्स टेलीवर्ल्ड माइन्स प्रा.लि.  
सर्वे क्र. 2776/2 के, 2776/2ख,  
ग्राम-बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3967 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 736 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

/2025

प्रति,

मेसर्स मां कैलादेवी स्टोन केशर  
सर्वे क. 2767, 2768, 2769 बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3969 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

*(Handwritten signature)*

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर  
ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 727 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04 / 04 / 2025

/2025

प्रति,

मेसर्स श्री हरदोल ग्रेनाईट,  
सर्वे क. 129 ग्राम-रफादपुर, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3962 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रैस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रैस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 735 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

/2025

प्रति,

मेसर्स श्रीराम दूत स्टोन केशर  
बिलौआ, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3968 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्र. 728

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 04/04/2025

/2025

प्रति,

मेसर्स श्री हरदोल ग्रेनाईट, (यूनिट-2)  
सर्वे क. 129,131, ग्राम-रफादपुर, तहसील-डबरा,  
जिला-ग्वालियर

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3961 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बैंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

0/1

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक ५१७ /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक ०५/०५/2025

/2025

प्रति,

मेसर्स ओम श्री केशर स्टोन

खसरा क. 3647 से 3649, 3651, 3699, 2763,

घोंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 01/04/2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 3972 दिनांक 12/12/2024

कृपया सूचित होवे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच में श्री रामेश्वर गुर्जर के द्वारा प्रेषित शिकायत दिनांक 25.06.2024 पत्र पर संज्ञान लेते हुए माननीय अधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 197/2024 (सीजेड) के रूप पंजीकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पूर्व में पारित आदेशों में आपको भी इस प्रकरण में रेस्पोंडेंट बनाया गया है। प्रकरण में पुनः से दिनांक 01.04.2025 को माननीय अधिकरण द्वारा आदेश जारी कर म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सभी रेस्पोंडेंट को नोटिस जारी करत हुए 3 सप्ताह में माननीय अधिकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। (संलग्नक-1) अतः माननीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा यह सूचना पत्र जारी करते हुए आपको सूचित किया जाता है कि माननीय अधिकरण के आदेशानुसार समय सीमा में अपना जबाब माननीय अधिकरण में प्रस्तुत करें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 08.07.2025 को नियत है।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SR

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी (विधि), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमति पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:04 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** eramit87@yahoo.co.in  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **743.pdf**  
611 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:14 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** murarilal@gmail.com, murarilalsharma@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **735.pdf**  
603 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:22 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** rajeshsharma@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **736.pdf**  
600 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:33 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** stonex@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **733.pdf**  
680 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:35 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** shreejeestones@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **738.pdf**  
662 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:36 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** skj2003@yahoo.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **739.pdf**  
641 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:50 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** braj mng1989 <braj.mng1989@gmail.com>  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **741.pdf**  
672 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:56 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** riturajconstruction@yahoo.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

 **742.pdf**  
651 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:57 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 1 attachment  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** chirr92009@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **740.pdf**  
688 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 12:58 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** jaidaubabastonecrusher@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **714.pdf**  
745 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:07 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** sardarsinghgurjar@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **715.pdf**  
768 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:20 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** pravendra1111@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **717.pdf**  
624 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:23 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** ganeshstone05@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **720.pdf**  
609 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:24 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह  
विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** vishnukumarsinghal@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **716.pdf**  
609 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:35 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** manoharlalbhala@gmail.com, manoharlalbhalla@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **721.pdf**  
610 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

**Fwd: माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।**

**From :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in> Tue, Apr 08, 2025 01:39 PM  
**Subject :** Fwd: माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत। 2 attachments  
**To :** manojmandrai@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>  
**Cc :** p patel415 <p\_patel415@yahoo.com>, mohitbuch22@gmail.com

**From:** "romppcb gwalior" <romppcb\_gwalior@rediffmail.com>  
**To:** ddastone@gmail.com  
**Cc:** "ms msoffice" <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, "Legal Cell" <legalcell.pcb@mp.gov.in>, "parul bhadoria04" <parul.bhadoria04@gmail.com>  
**Sent:** Tuesday, April 8, 2025 1:18:55 PM  
**Subject:** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

 **745.pdf**  
644 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:20 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** ddastone@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **745.pdf**  
644 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 01:48 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** sskstonecrusher18@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **722.pdf**  
696 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 02:13 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** baristonex@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **724.pdf**  
661 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 02:14 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** manglam@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **725.pdf**  
650 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 02:23 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** pavanputra11@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

 **726.pdf**  
686 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 02:27 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** vedprakash@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **731.pdf**  
647 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 02:33 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** vedprakash@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **732.pdf**  
656 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 03:33 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** kamalbajaj1983@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

 **723\_\_2\_.pdf**  
671 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 03:48 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** ashokyadav2091@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **728.pdf**  
604 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 03:48 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** deepak@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **730.pdf**  
664 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 03:53 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** vaibhavstonecrushergwalior@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **734.pdf**  
606 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 04:08 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** shrinatjiinfra@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **719.pdf**  
652 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 04:17 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बैंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** shivshankarstoneindustry@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **746.pdf**  
684 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 04:22 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** dataminesgroup@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

 **744.pdf**  
603 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 04:28 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** rajawatstone@gmail.com, rajawatastone@gmial.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **737.pdf**  
601 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---

---

माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।

---

**From :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> Tue, Apr 08, 2025 05:00 PM  
**Sender :** romppcb gwalior <romppcb\_gwalior@rediffmail.com> 2 attachments  
**Subject :** माननीय एनजीटी भोपाल बेंच के प्रकरण क्र.ओ.ए. न. 197/ 2024 श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.04.2025 के अनुपालन बावत।  
**To :** ashok@gmail.com  
**Cc :** ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>, dmngwalior1@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

With warm regards

R. R. Singh Sengar  
Regional Office  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwl. - 474020  
0751-2472020

---

 **727.pdf**  
610 KB

 **orginal\_aplication\_no\_197.pdf**  
438 KB

---



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 355 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

## ANNEXURE R-3

अधिष्ठाता,

मेसर्स मुरारी लाल शर्मा स्टोन केशर (श्रीरामदूत स्टोन केशर),  
खसरा न. 2769/1/2, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,  
तहसील डबरा जिला ग्वालियर,  
मोबाइल नंबर- 9981473075  
ई-मेल आईडी-murarilal@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 18.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2749 दिनांक 10.10.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 10.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स मुरारी लाल शर्मा स्टोन केशर (श्रीरामदूत स्टोन केशर), खसरा न. 2769/1/2, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 14.06.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रेसर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्डीवाल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
4. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
5. क्रेसर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्डीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 10.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 18052 दिनांक 13/06/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

*SK*

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 356

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स सिद्धी विनायक स्टोन एंड केशर,

खसरा क. 3596/1, 3595/3, घोघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

मोबाइल नंबर- 9926294039

ई-मेल आईडी-Svscrusher01@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3005 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 27.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स सिद्धी विनायक स्टोन एंड केशर, खसरा क. 3596/1, 3595/3, घोघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 15.02.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से कबर स्थापित पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी।
4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।

Sk

5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु सिप्रंकलर स्थापित नहीं पाया गया।
6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
7. क्रेशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा क्रेशर द्वारा पृथक से स्थापित क्रेशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार क्रेशर द्वारा दिनांक 27.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही क्रेशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 18688 दिनांक 21/11/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 357  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स ओमश्री स्टोन केशर,

खसरा क. 3647 से 3649, 3651, 3699, 2763 घोघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा,

जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9068711126

ई-मेल आईडी-pravendra1111@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3009 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 23.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स ओमश्री स्टोन केशर, खसरा क. 3647 से 3649, 3651, 3699, 2763 घोघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 18.10.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइवेटरी स्क्रीन कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित पायी गयी।
4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।

su

(2)

5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्प्रिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्प्रिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
  8. क्रेशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा क्रेशर द्वारा पृथक से स्थापित क्रेशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार क्रेशर द्वारा दिनांक 23.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही क्रेशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 18970 दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

*SR*

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 358

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्राट्रक्चर,

खसरा क. 3646, 3647, 3671 एवं 3596/2/1 घोंघारोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर

मोबाइल नंबर- 9838961930

ई-मेल आईडी-shrinatjiinfra@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3004 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 12.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्राट्रक्चर, खसरा क. 3646, 3647, 3671 एवं 3596/2/1 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट, बिलौआ जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 28.02.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
3. केशर के चारों तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी।
4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।

5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु सिप्रंकलर स्थापित नहीं पाया गया।
6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
7. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर सिप्रंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
8. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 17992 दिनांक 25/05/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 359 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स सर्वोदय मेन्यूफैक्चर एंड कान्ट्रेक्टर,

खसरा नं. 3605/2/2 घोघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ

तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर

मोबाइल नंबर- 9425115406

ई-मेल आईडी-manoharlalbhalla@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3000 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 30.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स सर्वोदय मेन्यूफैक्चर एंड कान्ट्रेक्टर, खसरा नं. 3605/2/2 घोघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 10.10.2026 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।

क्रमशः (2)

(2)

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

7. क्रेशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा क्रेशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार क्रेशर द्वारा दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 18118 दिनांक 27/06/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SK

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञापित का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 360  
प्रति.

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स जय दाऊ बाबा स्टोन इंडस्ट्रीज,

खसरा नं. 2727, 2728 एवं 2757 घोघा रोड,

ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा,

जिला-ग्वालियर

मोबाइल नंबर- 9516009001

ई-मेल आईडी-jaidaubabastonecrusher@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3008 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स जय दाऊ बाबा स्टोन इंडस्ट्रीज, खसरा नं. 2727, 2728 एवं 2757 घोघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 09.02.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित पाया गया।
  2. क्रेशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. क्रेशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-क्रेशर, कोन क्रेशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।

क्रमशः (2)

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

7. क्रेशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा क्रेशर द्वारा पृथक से स्थापित क्रेशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही क्रेशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 18676 दिनांक 19/11/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 361

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स गणेश स्टोन केशर,

खसरा नं. 3605/2/1 एवं 3606/3/1,

घोंघारोड ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा,

जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9300473542

ई-मेल आईडी-ganeshstone05@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3002 दिनांक 07.11.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 25.11.2024 एवं 13.01.2025

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स गणेश स्टोन केशर, खसरा नं. 3605/2/1 एवं 3606/3/1, घोंघारोड ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा, जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 02.03.2026 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।

क्रमशः (2)


5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्प्रिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. क्रेशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा क्रेशर द्वारा पृथक से स्थापित क्रेशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार क्रेशर द्वारा दिनांक 25.11.2024 एवं 13.01.2025 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही क्रेशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 19110 दिनांक 20/03/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

*SR*

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 445

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री साई कृपा स्टोन केशर एंड ग्रिट सप्लायर्स,

खसरा नं. 3707/1, 3707/3 एवं 3629/1 घोंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा, जिला- ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9926100411

ई-मेल आईडी- sskstonecrusher18@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3001 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स श्री साई कृपा स्टोन केशर एंड ग्रिट सप्लायर्स, खसरा नं. 3707/1, 3707/3 एवं 3629/1 घोंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला- ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 30.10.2019 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से कबर स्थापित पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया

(2)

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 3001 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 446 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स. श्री श्याम सरकार स्टोन केशर,

खसरा नं. 2759 2760/1, 2761 एवं 3650 घोंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9201319321

ई-मेल आईडी- vishnukumarsinghal@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3006 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 23.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर, खसरा नं. 2759 2760/1, 2761 एवं 3650 घोंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 19.09.2025 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित पाया गया।
2. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
3. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर आंशिक रूप से कबर स्थापित पायी गयी।
4. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
5. क्रेशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा क्रेशर द्वारा पृथक से स्थापित क्रेशर हेतु मिन्टरल

6. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।  
6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 23.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 19777 दिनांक 04/03/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 447  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स स्तुति स्टोन कशिंग कंपनी,

खसरा न. 3577,3579/7, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9818450800

ई-मेल आईडी- skj2003@yahoo.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2751 दिनांक 05.10.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 24.10.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स स्तुति स्टोन कशिंग कंपनी, खसरा न. 3577,3579/7, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 31.08.2029 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिगस्त अवस्था में पायी गयी।
3. जॉ-केशर, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर आंशिक रूप से कबर/स्थापित नहीं पायी गयी।
4. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
5. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल

6. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।  
6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 18/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 20209 दिनांक 25/09/2024 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 448

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स गुरु कृपा स्टोन केशर,

खसरा नं. 132, 133, घोघा रोड़, ग्राम रफादपुर,

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 8462015701

ई-मेल आईडी- vedprakash@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2990 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स गुरु कृपा स्टोन केशर, खसरा नं. 132, 133, ग्राम रफादपुर तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 21.03.2025 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिग्रस्त अवस्था में स्थापित पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर आंशिक रूप से स्थापित पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।

(2)


6. वेल्ट कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2990 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 17161 दिनांक 03/12/2021 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

sa

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञापति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



18/02 /2025

क्रमांक 449  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

अधिष्ठाता,

मेसर्स न्यू जय दाऊ बाबा स्टोन इंडस्ट्रीज,  
खसरा नं. 2727/8 एवं 2758, घोघा रोड,  
ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,  
मोबाइल नंबर- 8770798014

ई-मेल आईडी- sardarsinghgurjar@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.11.2024 एवं 19.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 3007 दिनांक 07.11.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 09.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स न्यू जय दाऊ बाबा स्टोन इंडस्ट्रीज, खसरा नं. 2727/8 एवं 2758, घोघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 31.01.2026 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर ड्रव पर स्थापित नहीं पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
4. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर सिप्रंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 09.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 19617 दिनांक 18/11/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 450 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन केशर,

खसरा नं. 3626/2, 3609/7, 3626/1 घोघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9229308671

ई-मेल आईडी- jaisidhbabastonecrusher@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2999 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 24.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन केशर, खसरा नं. 3626/2, 3609/7, 3626/1 घोघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 30.11.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. केशर के चारों तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रुला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।

7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर सिप्रंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 24.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 18852 दिनांक 04/01/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SK

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 451

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स हरदौल ग्रेनाइट (यूनिट-2),

खसरा न. 129,131 ग्राम रफादपुर,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 8226006001

ई-मेल आईडी- ashokyadav2091@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2991 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स हरदौल ग्रेनाइट (यूनिट-2), खसरा न. 129,131 ग्राम रफादपुर, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 03.07.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित पाया गया।
  2. क्रेशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. क्रेशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-क्रेशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन क्रेशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर आंशिक रूप से कबर पायी गयी।
  5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

क्रमशः (2)


7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2991 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 18221 दिनांक 25/07/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की यावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 452 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स हर्दौल ग्रेनाइट,

खसरा न. 129 ग्राम रफादपुर,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9425308761

ई-मेल आईडी- ashok@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2988 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स हर्दौल ग्रेनाइट, खसरा न. 129 ग्राम रफादपुर, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 31.12.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रुला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु सिंप्रंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

88

क्रमशः (2)


7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2988 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 18778 दिनांक 12/12/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SA

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर



ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 461 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स कमल बजाज (मेसर्स झुलेलाल ग्रेनाइट),

खसरा न. 3624/2/3 ग्राम बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9993322007

ई-मेल आईडी- kamalbajaj1983@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2992 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स कमल बजाज (मेसर्स झुलेलाल ग्रेनाइट), खसरा न. 3624/2/3 ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 27.10.2024 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन कबर स्थापित नहीं पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर सिप्रंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।

6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2992 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।


उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

4-

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 462 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18 / 02 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स बारी स्टोनेक्स (स्टोन केशर),

खसरा नं. 3625/2 घोघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 8619704717

ई-मेल आईडी- baristonex@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2998 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 09.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स बारी स्टोनेक्स (स्टोन केशर) खसरा नं. 3625/2 घोघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 31.12.2028 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
2. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी।
3. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।
4. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
5. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल


6. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।  
6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 09.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 19679 दिनांक 01/01/2024 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

Sik

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनेरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 463 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02 /2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक,

खसरा नं. 3630/3 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9329016869

ई-मेल आईडी- manglam@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2997 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक, खसरा नं. 3630/3 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 18.12.2022 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्लेशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. क्लेशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से/क्षतिग्रस्त अवस्था में कबर स्थापित पायी गयी।
  3. क्लेशर के चारों तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. जॉ-क्लेशर, कोन क्लेशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. क्लेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकर स्थापित नहीं पाया गया।

(2)


7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिन्नरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2997 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर देवे।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देवे।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावे।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिन्नरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 464

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स पवन पुत्र इन्टरप्राइजेज,

खसरा नं. 3707 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9752544254

ई-मेल आईडी- Pavanputral1@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2996 दिनांक 07.11.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 02.01.2025

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स पवन पुत्र इन्टरप्राइजेज, खसरा नं. 3707 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 14.08.2028 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइव्रेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से/क्षतिग्रस्त अवस्था में कबर स्थापित पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु सिंप्रंकलर स्थापित नहीं पाया गया।

क्रमशः (2)

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 02.01.2025 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 19149 दिनांक 27/03/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SH

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 465 /क्षेप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स बालाजी स्टोन केशर,  
खसरा नं. 3624/2 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,  
मोबाइल नंबर- 9229151508  
ई-मेल आईडी- deepak@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2993 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स बालाजी स्टोन केशर, खसरा नं. 3624/2 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 30.06.2028 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान केशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से/क्षतिग्रस्त अवस्था में कबर स्थापित पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी।
4. जॉ-केशर, रुला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु सिप्रंकलर स्थापित नहीं पाया

(2)

7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअंस वाटर सिप्रंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2993 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 19385 दिनांक 05/07/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 466

/क्षेप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स गिराज स्टोन केशर,

खसरा नं. 3624/2/6 घोघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 6397090990

ई-मेल आईडी- gopalprasadagarwal@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2994 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स गिराज स्टोन केशर, खसरा नं. 3624/2/6 घोघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 19.04.2025 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइवेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से/क्षतिग्रस्त अवस्था में कबर स्थापित पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी।
4. जॉ-केशर, रूला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु सिंक्रलर स्थापित नहीं पाया


7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्यूअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2994 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 17162 दिनांक 13/12/2021 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञापति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 467

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग,

खसरा नं. 3624/2/5 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला-ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 6397090990

ई-मेल आईडी- vedprakash@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 06.11.2024 एवं 19.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2995 दिनांक 07.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग, खसरा नं. 3624/2/5 घोंघारोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 20.02.2025 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रेशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन पर आंशिक रूप से/क्षतिग्रस्त अवस्था में कबर स्थापित पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्डीवाल स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रुला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

क्रमशः (2)

7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर सिप्रंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2995 दिनांक 07.11.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञापति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 468

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

18/02 /2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा,

खसरा न. 3590/1,3593/1/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 777386660

ई-मेल आईडी- stonex@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2752 दिनांक 10.10.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 25.10.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा, खसरा न. 3590/1,3593/1/1, घोंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ तहसील डबरा जिला-ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 24.10.2024 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिगस्त अवस्था में पायी गयी।
3. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
4. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
5. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल


6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार क्रेशर द्वारा दिनांक 25.10.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही क्रेशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 469  
प्रति,

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स वैभव स्टोन केशर,

खसरा न. 2769/2/क, 2769/2/ख, घोघा रोड़,

ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9981473075, 9588064432

ई-मेल आईडी- vaibhavstonecrushergwalior@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024, 18.12.2024 एवं 07.02.2025

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2746 दिनांक 10.10.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स वैभव स्टोन केशर, खसरा न. 2769/2/क, 2769/2/ख, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 30.06.2024 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 एवं 07.02.2025 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रुला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्पिंकलर स्थापित नहीं पाया गयी।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

(2)

8. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

9. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।

6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2746 दिनांक 10.10.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक  
प्रति,

471

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक

18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स जय मां कैलादेवी स्टोन इण्डस्ट्रीज,

खसरा न. 2767,2768,2769/1/1,3591/1, घोघा रोड़,

ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 777386660

ई-मेल आईडी- rajeshsharma@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 18.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2748 दिनांक 10.10.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 30.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स जय मां कैलादेवी स्टोन इण्डस्ट्रीज, खसरा न. 2767,2768,2769/1/1,3591/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 19.01.2028 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिगस्त अवस्था में पायी गयी।
  3. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
- 134

(2)


5. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  6. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 19708 दिनांक 19/02/2024 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।

  
(आर.आर.सिंह सेगर)  
क्षेत्रीय अधिकारी  


प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 472 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज, खसरा न. 3623/1, घोंघा रोड़,

ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9993596511

ई-मेल आईडी- rajawatstone@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 18.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2747 दिनांक 10.10.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 30.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स श्री राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज, खसरा न. 3623/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 19.11.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
4. जॉ-केशर, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
5. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
6. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्प्रिंकलर स्थापित नहीं पाया

(2)

7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

8. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअंस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।

6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 18693 दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SU

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 473

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्रीजी इन्फ्राकोन,

खसरा न. 3590/1,3590/2, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 9425109759

ई-मेल आईडी- shreejeestones@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2743 दिनांक 10.10.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 06.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स श्रीजी इन्फ्राकोन, खसरा न. 3590/1,3590/2, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 04.08.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिगस्त अवस्था में पायी गयी।
3. जॉ-केशर, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
4. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
5. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।


6- क्लेशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2746 दिनांक 10.10.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही क्लेशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क्र. 18292 दिनांक 10/08/2022 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 474

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स महादेव स्टोन इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर),

खसरा न. 3579/1, 3579/4, 3588/6, घोंघा रोड़,

ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर

मोबाइल नंबर- 9425310081

ई-मेल आईडी- chirr92009@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 18.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2750 दिनांक 10.10.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स महादेव स्टोन इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर), खसरा न. 3579/1, 3579/4, 3588/6 ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त की गई है। संचालन सम्मति का आवेदन दिनांक 18.03.2023 एवं 09.10.2024 को बोर्ड द्वारा अपूर्ण होने से डिलीट किया गया है। वर्तमान में आपका स्टोन केशर बोर्ड की संचालन सम्मति के बिना कार्यरत है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-

1. उद्योग द्वारा बोर्ड से संचालन सम्मति प्राप्त किये बगैर संचालन किया जा रहा है।
2. निरीक्षण दौरान केशर संचालित पाया गया।
3. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन स्थापित नहीं पायी गयी।
4. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
5. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।

(2)

6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
  7. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  8. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्प्रींकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2750 दिनांक 10.10.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 475 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन एण्ड केशर खसरा न. 3579/5, 3583/2,  
3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1, घोंघा रोड़,  
ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर,  
मोबाइल नंबर- 9045062399  
ई-मेल आईडी- braj.mng1989@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 19.12.2024  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2754 दिनांक 10.10.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 23.12.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन एण्ड केशर खसरा न. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 10.01.2027 तक है।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

(2)

6. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।

7. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।

6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 19/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 10.01.2027 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 19984 दिनांक 13/06/2024 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SS

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक  
प्रति,

476

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18/02/2025

अधिष्ठाता,

मेसर्स त्रिहुराज स्टोन केशर, खसरा न. 117,

ग्राम रफादपुर पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर

मोबाइल नंबर- 7974963506

ई-मेल आईडी- riturajconstruction@yahoo.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 13.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2753 दिनांक 10.10.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स त्रिहुराज स्टोन केशर, खसरा न. 117, ग्राम रफादपुर पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 30.06.2024 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर में स्थापित वाइब्रेटरी स्क्रीन आंशिक रूप से कबर/ क्षतिग्रस्त अवस्था में पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, रुला मशीन, कोन केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. केशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्प्रिंकलर स्थापित नहीं पाया गया।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

(2)

7. केशर के अन्दर परिसर में व वाहन मार्ग पर अत्यधिक धूल का जमाव देखा गया, जिसे हटाने हेतु व्यवस्था नहीं पायी गयी।
  8. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति उपलब्ध नहीं कराई गई।
  9. उद्योग परिसर को सतत् गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- केशर ईकाई से बोर्ड द्वारा जारी संचालन बंद संबंधी सूचना पत्र क्रमांक 2753 दिनांक 10.10.2024 का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

SK

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020

क्रमांक 554

/क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 05/03/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स टेलीवर्ल्ड माइन्स एंड मिनरल्स प्रा.लि.,

खसरा न. 2776/2क, 2776/2ख, 2776/2ग, घोषा रोड़,

ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा

जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 8447737197, 9546264960

ई-मेल आईडी- dataminesgroup@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

- संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024, 18.12.2024, 04.03.2025  
2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2744 दिनांक 10.10.2024  
3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत जबाब दिनांक 08.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स टेलीवर्ल्ड माइन्स एंड मिनरल्स प्रा.लि., खसरा न. 2776/2क, 2776/2ख, 2776/2ग, ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 14.10.2027 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18.12.2024 एवं 04.03.2025 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित नहीं पाया गया।
  2. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल स्थापित नहीं पायी गयी तथा क्षतिग्रस्त/टूटी हुई पायी गयी।
  3. जॉ-केशर पर जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  4. केशर खदान क्षेत्र में स्थापित नहीं है। तथा केशर द्वारा पृथक से स्थापित केशर हेतु मिनरल भण्डारण की अनुमति नहीं पायी गई।

6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 04/03/2025 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 08.11.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली डस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 19238 दिनांक 26/04/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी



प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, Ph. : 0751-2472020



क्रमांक 573 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 10/03/2025

### आदेश

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत केशर ईकाई का संचालन बंद करने के निर्देशों का पुनरीक्षण।

- संदर्भ:-
1. इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देश पत्र क्र. 477 दिनांक 18.02.2025
  2. केशर ईकाई द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.02.2025
  3. इस कार्यालय के अधिकारी द्वारा केशर ईकाई का निरीक्षण दिनांक 04.03.2025

मेसर्स ए.वी.पी.इंफ्राटेक, खसरा क्र. 2771/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) को इस कार्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के अंतर्गत निम्न कारणों से केशर ईकाई का संचालन बंद करने निर्देश पत्र क्रमांक 477 दिनांक 18/02/2025 द्वारा जारी किये गये थे:-

1. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर पूर्ण रूप से जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
2. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।
3. केशर के अन्दर परिसर में व वाहन मार्ग पर अत्यधिक धूल का जमाव देखा गया, जिसे हटाने हेतु व्यवस्था नहीं पायी गयी।
4. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।

केशर ईकाई द्वारा दिनांक 28.02.2025 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए बोर्ड द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 18.02.2025 में उल्लेखित व्यवस्थाओं की कमियों के पालन की कार्यवाही कर लिये जाने की सूचना देते हुए बोर्ड द्वारा जारी केशर बंद करने के निर्देश को शिथिल किये जाने हेतु लेख किया गया है। केशर द्वारा की गई कार्यवाही की वस्तुस्थिति के सत्यापन हेतु इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 04.03.2025 को केशर का निरीक्षण किये जाने पर स्थिति निम्नानुसार पाई गई:-

1. केशर में स्थापित वाइब्रटरी स्क्रीन पर कवर स्थापित कर लिया जाना पाया गया।
2. केशर परिसर के चारों ओर जी.आई. शीट बाउण्ड्रीवाल स्थापित कर लिया जाना पायी गयी।
3. जॉ केशर, व्ही.एस.आई मशीन, कोन केशर पर जी.आई. शीट इन्क्लोजर स्थापित कर लिया जाना पाया गया।
4. केशर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव हेतु व्यवस्था स्थापित कर संचालित पायी गयी।
5. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर कर लिया जाना पाया गया।
6. केशर के अन्दर परिसर में व वाहन मार्ग पर धूल हटी हुई पायी गयी।
7. केशर परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की व्यवस्था स्थापित कर लिया जाना पाया गया।

*Handwritten signature/initials*

क्रमशः (2)


उपरोक्त अवलोकनों से यह सुनिश्चित हो गया है कि जिन कारणों से केशर ईकाई को क्लोजर निर्देश जारी किये गये थे, केशर द्वारा उन बिन्दुओं पर प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्थाओं का उन्नयन कर लिया गया है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के अंतर्गत निम्नानुसार पुनरीक्षित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि केशर ईकाई पुनः से संचालन प्रारंभ कर सकेगी।
2. यह कि संबंधित विभाग केशर ईकाई को जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय एवं संबंधित सभी सुविधाओं को पुर्नस्थापित कर सकेंगे।
3. यह कि केशर ईकाई वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था का नियमित संचालन, संधारण एवं सुदृढीकरण कार्य करेगा तथा वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन मानक सीमा के अंतर्गत सीमित रखेगा।
4. यह कि केशर ईकाई बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों एवं गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करेगा तथा इस हेतु स्थापित समस्त व्यवस्थाओं का नियमित संचालन एवं संधारण करेगा।
5. केशर ईकाई द्वारा परिशंकटमय अपशिष्ट (हथालन एवं सीमापार संचालन) नियम 2016 के अंतर्गत बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उपरोक्त पुनरीक्षित उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हों। भविष्य में पालन की स्थिति न पाये जाने पर केशर ईकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की कृपया पत्र की पावती भेजने का कष्ट करें।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम

से तथा आदेशानुसार



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

Stc

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 5- मेसर्स ए.वी.पी.इंफ्राटेक, खसरा क. 2771/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 6- रिकार्ड कॉपी।



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwallior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक

477 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 18 / 02 / 2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स ए.वी.पी.इंफ्राटेक,

खसरा क. 2771/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा जिला ग्वालियर,

मोबाइल नंबर- 8077133294

ई-मेल आईडी- dataminesgroup@gmail.com

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत उद्योग का संचालन बंद करने के संबंध में निर्देश।

संदर्भ:-1. इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दिनांक 05.10.2024 एवं 13.12.2024

2. इस कार्यालय द्वारा जारी सूचना पत्र क्रमांक 2745 दिनांक 10.10.2024

3. आपके द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त जबाब दिनांक 08.11.2024

-----0-----

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- 1- यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- 2- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योग को निस्त्राव तथा उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत् शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- 3- यह कि, बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत वैधानिक निर्देश जारी करने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।
- 4- यह कि, आपका उद्योग मेसर्स ए.वी.पी.इंफ्राटेक, खसरा क. 2771/1, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रदत्त सम्मति की वैधता दि. 08.12.2027 तक थी।
- 5- यह कि, इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को आपके उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि :-
  1. निरीक्षण दौरान क्रशर संचालित पाया गया।
  2. केशर में कबर्ड वाइब्रेटरी स्क्रीन स्थापित पायी गयी।
  3. केशर के चारो तरफ बाउन्ड्रीताल स्थापित पायी गयी।
  4. जॉ-केशर, वी.एस.आई. मशीन, कोन केशर पर पूर्ण रूप से जी. आई सीट इनक्लोजर स्थापित नहीं पायी गयी।
  5. क्रेशर परिसर में वाहन संचालन मार्ग पर जल छिड़काव व्यवस्था हेतु स्थापित पाया गया।
  6. वेल्ड कन्वेयर पर स्थापित जल छिड़काव व्यवस्था सम्पूर्ण चौड़ाई पर होना नहीं पाया गया।

क्रमशः (2)



7. केशर के अन्दर परिसर में व वाहन मार्ग पर अत्यधिक धूल का जमाव देखा गया, जिसे हटाने हेतु व्यवस्था नहीं पायी गयी।
8. उद्योग परिसर को सतत गीला रखने हेतु कन्टीन्युअस वाटर स्पिंकलर की स्थापना नहीं पायी गई।
- 6- कार्यालय के अधिकारियों का निरीक्षण दिनांक 13/12/2024 अनुसार केशर द्वारा दिनांक 08.11.2024 को प्रस्तुत प्रतिउत्तर संतोसजनक नहीं पाया गया।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से स्पष्ट है कि आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी सम्मति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किए बिना ही केशर का संचालन करते हुए आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाया जा रहा है। उद्योग से उत्पन्न होने वाली इस्ट के उत्सर्जन से आसपास के क्षेत्र में जन शिकायत की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य को गंभीर हानि होने का अंदेशा है। अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के अंतर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- 1- यह कि, उद्योग तत्काल प्रभाव से उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर दें।
- 2- यह कि, संबंधित विभाग उद्योग को प्रदत्त विद्युत/जल प्रदाय तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दें।
- 3- यह कि, उद्योग तब तक संचालन प्रारम्भ नहीं कर सकेगा जब तक उद्योग में सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित नहीं कर ली जाती।
- 4- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के तहत प्राप्त शक्तियों व अन्य प्रावधानों का उपयोग करते हुये बोर्ड द्वारा आपके उद्योग को पत्र क. 19667 दिनांक 20/12/2023 द्वारा प्रदत्त सम्मति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जावे, अन्यथा बोर्ड द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी उद्योग संचालन हेतु जिम्मेवार होने के कारण आपकी होगी।

कृपया पत्र की पावती प्रेषित की जावे।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

*[Handwritten Initials]*

प्रतिलिपि:-

- 1- सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- कलेक्टर, कार्यालय-कलेक्टर, जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- महाप्रबंधक (ओ एंड एम.) मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कं. लि. रोशनीघर, अचलेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर। कृपया उद्योग के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4- खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर की ओर प्रेषित करते हुए लेख है कि उक्त उद्योग की मिनरल स्टॉक अनुज्ञप्ति का सत्यापित कर लिया जावे तथा उद्योग के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 5- रिकार्ड कॉपी।



# ANNEXURE R-4

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in Ph. 0751-2472020



क्रमांक 927 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 21 / 04 / 2025

प्रति,

महाप्रबंधक (संचालन एवं संधारण),  
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
रोशनी घर, ओल्ड हाई कोर्ट रोड, इंदरगंज  
लशकर, ग्वालियर-474009

विषय:- बिलौआ क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रेशर का विद्युत संयोग विच्छेदित करने बावत्।  
संदर्भ:- बिलौआ क्षेत्र के स्टोन क्रेशर को बोर्ड द्वारा संचालन बंद करने के जारी निर्देश दिनांक  
17.02.2025, 18.02.2025, 05.03.2025

-----0-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्र. 197/2024 (श्री रामेश्वर सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में बिलौआ क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रेशर्स द्वारा वायु प्रदूषण फैलाने के शिकायत की गई थी। बोर्ड द्वारा बिलौआ क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने पर स्टोन क्रेशर्स द्वारा वायु प्रदूषण फैलाना पाया गया। अतः बोर्ड द्वारा कुल 31 स्टोन क्रेशर्स को प्रक्रिया बंद करने के निर्देश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत जारी किये गए हैं। जारी निर्देशों की एक प्रति आपको भी भेजी गई है। पुनः से छायाप्रति संलग्न है। जिसमें आपके विभाग स्तर से इन स्टोन क्रेशर्स को जारी विद्युत संयोग को विच्छेदित करने की कार्यवाही करने के लिए आपकी ओर लेख किया गया है। किन्तु आज दिनांक तक इन स्टोन क्रेशर्स का न तो विद्युत विच्छेदन हुआ है और न ही उत्पादन बंद किया गया है। जिस पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा अप्रशन्नता व्यक्त की गई है। अतः निवेदन है कि कृपया सभी 31 स्टोन क्रेशर्स के विद्युत संयोग को अविलम्ब विच्छेदित कर इस कार्यालय को एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिससे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में इस सम्बन्ध में सूचित किया जा सकेगा। अन्यथा कि स्थिति में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा यदि कोई अप्रिय आदेश जारी किया जाता है तो उस स्थिति में जबाबदारी आपकी होगी।

(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आवक लिपिक  
कार्या. महाप्रबंधक (सं/स)  
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर

21/04/25  
आवक लिपिक  
कार्या. महाप्रबंधक (सं/स)  
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ग्वालियर

बोर्ड द्वारा बिलौआ एवं रफादपुर में स्थित स्टोन केशर्स को प्रक्रिया बंद करने के निर्देश जारी किये गये

क्र.	केशर्स का नाम	ग्राम	जारी निर्देश पत्र क्र. एवं दिनांक
1.	मेसर्स जय सिद्ध बाबा स्टोन केशर, खसरा न. 3626/2, 3609/7, 3626/1, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	450, 18.02.2025
2.	मेसर्स जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज, खसरा क्र. 2727, 2728 एवं 2757 घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	360, 17.02.2025
3.	मेसर्स न्यू जय दाऊ बाबा स्टोन इण्डस्ट्रीज, खसरा क्र. 2727/8, एवं 2758, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	449, 18.02.2025
4.	मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर, खसरा न. 3759, 2706/1, 2761 एवं 3650, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	446, 18.02.2025
5.	मेसर्स ओमश्री स्टोन केशर, खसरा क्र. 3647 से 3649, 3651, 3699, 2763 घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	357, 17.02.2025
6.	मेसर्स सिद्धि विनायक स्टोन एण्ड केशर, खसरा न. 3596/1, 3595/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	356, 17.02.2025
7.	मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, खसरा न. 3646, 3647, 3671 एवं 3596/2/1,	बिलौआ	358, 17.02.2025

	घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)		
8.	मेसर्स गणेश स्टोन केशर, खसरा न. 3605/2/1, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	361, 17.02.2025
9.	मेसर्स सर्वोदय मैन्युफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर, खसरा न. 3605/2/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	359, 17.02.2025
10.	मेसर्स श्री साईं कृपा स्टोन केशर एण्ड सप्लायर्स, खसरा न. 3707/1,3707/3 एवं 3629/1, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	445, 18.02.2025
11.	मेसर्स कमल बजाज, (पुराना नाम-मेसर्स झूलेलाल ग्रेनाईट) खसरा न. 3624/2/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	461, 18.02.2025
12.	मेसर्स बारी स्टोनेक्स, खसरा न. 3625/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	462, 18.02.2025
13.	मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फाटेक, खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	463, 18.02.2025
14.	मेसर्स पवन पुत्र इंटरप्राइजेज, खसरा न. 3707, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	464, 18.02.2025

15.	मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट, खसरा न. 129, घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	रफादपुर	452, 18.02.2025
16.	मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट यूनिट-2, खसरा न. 129, 131 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	रफादपुर	451, 18.02.2025
17.	मेसर्स गुरुकृपा स्टोन केशर, खसरा न. 132, 133 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	रफादपुर	448, 18.02.2025
18.	मेसर्स बालाजी स्टोन केशर, खसरा न. 3624/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	465, 18.02.2025
19.	मेसर्स गिर्राज स्टोन केशर, खसरा न. 3624/2/6, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	466, 18.02.2025
20.	मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग, खसरा न. 3624/2/5, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर (एनजीटी प्रकरण)	बिलौआ	467, 18.02.2025
21.	मेसर्स स्टोनेक्स इन्फ्रा, खसरा न. 3590/1/1 एवं 3593/1/1, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	468, 18.02.2025
22.	मेसर्स वैभव स्टोन केशर, खसरा न. 2776/2/क, 2776/2/ख, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	469, 18.02.2025
23.	श्री मुरारी लाल शर्मा (प्रचलित नाम मेसर्स रामदूत स्टोन केशर) खसरा न.	बिलौआ	355, 17.02.2025

	2769/1/2 ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर		
24.	मेसर्स जय मां कैलादेवी स्टोन इण्ड., खसरा न. 2767,2768, 2769/1/1 एवं 3591/1, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	471, 18.02.2025
25.	मेसर्स राजावत स्टोन केशर, खसरा न. 2776/2 ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	472, 18.02.2025
26.	मेसर्स श्रीजी इन्फाकॉन, खसरा न. 3590/1, 3590/2, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	473, 18.02.2025
27.	मेसर्स स्तुति स्टोन कशिग कम्पनी, खसरा न. 3577,3579/7, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	447, 18.02.2025
28.	मेसर्स महादेव स्टोन इण्डस्ट्रीज (स्टोन केशर) खसरा न. 3579/1, 3579/4, 3588/6, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	474, 18.02.2025
29.	मेसर्स श्री सिद्धि विनायक स्टोन केशर, खसरा न. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1, 3588/3, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	475, 18.02.2025
30.	मेसर्स रितुराज स्टोन केशर, खसरा न. 117 ग्राम रफादपुर, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	476, 18.02.2025
31.	मेसर्स टेलीवर्ड माइन एण्ड मिनरल्स प्रा. लि., खसरा न. 2776/2/क, 2776/2/ख, 2776/2/ग, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर	बिलौआ	554, 05.03.2025

## ANNEXURE R-5

## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 985 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 05/5/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स महाकालेश्वर स्टोन केशर (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 136/2, ग्राम रफादपुर,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर।

ई-मेल : mohansinghal@gmail.com

मोबाईल : 7697303382

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स गुरुकृपा स्टोन केशर, खसरा न. 132,133 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 448 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्जर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 136/2, कुल रकवा 0.840 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 28/07/2028 तक थी।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स गुरुकृपा स्टोन केशर, खसरा न. 132,133 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 448 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19396 दिनांक 11/07/2023 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1007 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

प्रति

अधिष्ठाता,

मेसर्स बारी स्टोनेक्स (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3894/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : manishmangal@gmail.com

मोबाईल : 9229151509

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स बारी स्टोनेक्स, खसरा न. 3625/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 462 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्जर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3894/2, कुल रकवा 1.100 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 28/05/2029 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स बारी स्टोनेक्स, खसरा न. 3625/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

*(Handwritten signature)*


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 461 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19810 दिनांक 20/03/2024 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1008 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

प्रति

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्रीमति मंजुला जैन (स्टोन बोल्डर माइन),  
खसरा क्र. 3619/3 क, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,  
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर।

ई-मेल : manjula@gmail.com

मोबाईल : 9229137557

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स श्री साई कृपा स्टोन केशर एण्ड सप्लायर्स, खसरा न. 3707/1,3707/3 एवं 3629/1, घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 445 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3619/3 क, कुल रकवा 2.000 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 07/05/2029 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स श्री साई कृपा स्टोन केशर एण्ड सप्लायर्स, खसरा न. 3707/1,3707/3 एवं 3629/1, घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

क्रमशः (2)

0/4


54

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 445 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। चूँकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19925 दिनांक 13/05/2024 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

41. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
42. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
43. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
44. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1009 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

प्रति

अधिष्ठाता,

मेसर्स सर्वोदय मैनुफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर, (स्टोन बोल्डर माइन)

खसरा न. 3624/1, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

ई-मेल : manoharlalbhalla@gmail.com

मोबाईल : 9425115406

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स सर्वोदय मैनुफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर, खसरा न. 3605/2/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 359 दिनांक 17.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उच्चसर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3624/1, कुल रकवा 0.500 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 10/10/2026 तक है।
- यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स सर्वोदय मैनुफेक्चरर एण्ड कॉन्ट्रेक्टर, खसरा न. 3605/2/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

6/11


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 359 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18103 दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1010 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

अधिष्ठाता,  
मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर,  
खसरा न. 23, 26, ग्राम लखनपुरा,  
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर  
ई-मेल : varun.tiwari.com@gmail.com  
मोबाईल : 9838961930

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, खसरा न. 3646,3647,3671 एवं 3596/2/1, घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 358 दिनांक 17.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्जरन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि ग्राम लखनपुरा, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 23, 26, कुल रकवा 1.290 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 22/01/2028 तक है।
- यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, खसरा न. 3646,3647,3671 एवं 3596/2/1, घौघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

१/५

५५


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 358 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18961 दिनांक 02/02/2023 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

०/८

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1011 /लेकाप्रनिबो/ग्वा/2025  
प्रति

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

अधिप्यता,

मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन्स, (स्टोन बोल्डर माइन),  
खसरा क्र. 3731/1मिन1, 2755/1मिन1, 2755/1मिन2,  
ग्राम बिलौआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर  
ई-मेल : vishnukumarsinghal@gmail.com  
मोबाईल : 8966907761

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. इस कार्यालय द्वारा स्टोन केशर ईकाई मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर, खसरा न. 3759, 2706/1, 2761 एवं 3650, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 446 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

- यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
- यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्जर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
- यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3731/1मिन1, 2755/1मिन1, 2755/1मिन2, कुल रकवा 1.972 हेक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 27/10/2024 तक थी।
- यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स श्री श्याम सरकार स्टोन केशर, खसरा न. 3759, 2706/1, 2761 एवं 3650, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*


क्रमशः 2

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 446 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19940 दिनांक 24/05/2024 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

0/c

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1012 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

प्रति

अधिष्ठाता,

मेसर्स नवीन बजाज (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा क्र. 3717/1क, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ,

तहसील डबरा, जिला ग्वालियर।

ई-मेल : naveen@gmail.com

मोबाईल : 9993322007

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स कमल बजाज, (पुराना नाम-मेसर्स झूलेलाल ग्रेनाईट) खसरा न. 3624/2/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 461 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/1क, कुल रकवा 0.700 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 02/06/2025 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स कमल बजाज, (पुराना नाम-मेसर्स झूलेलाल ग्रेनाईट) खसरा न. 3624/2/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

o/c

SK


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण एन डी 461 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18233 दिनांक 25/07/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 1013 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 08/5/2025

प्रति

अधिष्ठिता,

मेसर्स गणेश स्टोन केशर,

खसरा न. 3712/2, घौंघा रोड,

ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर

ई-मेल : ganeshstonecrusher@gmail.com

मोबाईल : 9300473542

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स गणेश स्टोन केशर, खसरा न. 3605/2/1, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 361 दिनांक 17.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उद्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3712/2, कुल रकवा 2.00 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 02/03/2028 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्सर्जित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स गणेश स्टोन केशर, खसरा न. 3605/2/1, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

०८

SK


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 361 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। चूँकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19109 दिनांक 20/03/2023 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 908 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/4/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स रितुराज स्टोन्स प्रा. लि. (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 17, ग्राम लखनपुरा,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : riturajstones@gmail.com

मोबाईल : 7773866660

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स रितुराज स्टोन केशर, खसरा न. 117 ग्राम रफादपुर, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 476 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्जर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम लखनपुरा, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 17, कुल रकवा 3.22 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 03/05/2028 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स रितुराज स्टोन केशर, खसरा न. 117 ग्राम रफादपुर, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

9/4

5/4


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पर ड. 475 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19968 दिनांक 03/06/2024 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 909 /क्षेकाप्रनिवो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/4/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स स्तुति स्टोन कशिंग कम्पनी (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3579/7, 3577 ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : skj2003@yahoo.com

मोबाईल : 9818450800

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स स्तुति स्टोन कशिंग कम्पनी, खसरा न. 3577,3579/7, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 447 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3579/7, 3577, कुल रकवा 1.435 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 26/10/2027 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स स्तुति स्टोन कशिंग कम्पनी, खसरा न. 3577,3579/7, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

SK

g/c


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पर ड. 447 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18168 दिनांक 10/07/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह रोंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 910 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/4/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्रीजी ग्रेनाइट (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3717/2, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर।

ई-मेल : prateek228@rediffmail.com

मोबाईल : 9425109759

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स श्रीजी इन्फ्राकॉन, खसरा न. 3590/1, 3590/2, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 473 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/2, कुल रकवा 1.582 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 04/10/2026 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स श्रीजी इन्फ्राकॉन, खसरा न. 3590/1, 3590/2, ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

2/

SK


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 413 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये है। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18776 दिनांक 11/12/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 911 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/4/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3717/1, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : poonam@gmial.com

मोबाईल : 9826232805

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स राजावत स्टोन केशर, खसरा न. 2776/2 ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 472 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उच्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/1, कुल रकवा 1.70 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 10/11/2027 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स राजावत स्टोन केशर, खसरा न. 2776/2 ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 472 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूँकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18671 दिनांक 19/11/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 912 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/11/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स तेजवंत जैन (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3717/2, ग्राम बिलौआ,,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : tejwantjain@gmail.com

मोबाईल : 8462015701

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग, खसरा न. 3624/2/5, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 467 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/2, कुल रकवा 2.00 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 29/10/2027 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्सर्जित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स भोलेबाबा ग्रिट उद्योग, खसरा न. 3624/2/5, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

*(Handwritten signature)*


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 457 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18048 दिनांक 11/06/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर

७८

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 913 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/4/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स बालाजी स्टोन केशर,

(स्टोन बोल्डर माइन), खसरा न. 3717/2, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : deepak@gmail.com

मोबाईल : 9229151508

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स बालाजी स्टोन केशर, खसरा न. 3624/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 465 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/2, कुल रकवा 1.500 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 14/09/2028 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स बालाजी स्टोन केशर, खसरा न. 3624/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

०/०

क्रमशः (2)



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टीनटयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - rompcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 926 /क्षेकाप्रनिवो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 17/4/2025

प्रति,

अधिष्ठिता,

श्री मुरारी लाल शर्मा (ब्लेक स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3921, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर।

ई-मेल : murarilalsharma@gmail.com

मोबाईल : 9300773140

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. श्री मुरारी लाल शर्मा (प्रचलित नाम मेसर्स रामदूत स्टोन केशर) खसरा न. 2769/1/2 ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 355 दिनांक 17.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3921, कुल रकवा 2.00 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 10/05/2027 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु श्री मुरारी लाल शर्मा (प्रचलित नाम मेसर्स रामदूत स्टोन केशर) खसरा न. 2769/1/2 ग्राम बिलौआ, तहसील-डबरा जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

क्रमशः (2)


9/

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण का. प्र. 18015 दिनांक 17.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूँकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18015 दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 986 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 05/5/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स श्री कृष्णा यादव (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 3717/2, ग्राम बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर।

ई-मेल : krishna@gmail.com

मोबाईल : 8226006001

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट यूनिट-2, खसरा न. 129, 131 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 451 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्जर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम एवं पोस्ट बिलौआ, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3712/2, कुल रकवा 0.50 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 19/12/2024 तक थी।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट यूनिट-2, खसरा न. 129, 131 घौंघा रोड, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

*(Handwritten signature)*


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 451 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18760 दिनांक 18/12/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 987 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 05/5/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स अशोक सिंह (स्टोन बोल्डर माइन),

खसरा न. 132, 133 घौंघा रोड़, ग्राम रफादपुर,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर ।

ई-मेल : ashoksinghyadav@gamil.com

मोबाईल : 9425308763

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट, खसरा न. 129, घौंघा रोड़, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 452 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड़, ग्राम रफादपुर, पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 132, 133, कुल रकवा 4.00 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 13/07/2028 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स हरदौल ग्रेनाईट, खसरा न. 129, घौंघा रोड़, ग्राम-रफादपुर, पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 457 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूंकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19395 दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-



1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 988 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 05/5/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स विनीता यादव माइन,

खसरा न. 3717/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर।

ई-मेल : vinitayada@gmail.com

मोबाईल : 9425121704

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक, खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 463 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उद्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/2, कुल रकवा 1.500 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 12/06/2027 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्पन्नित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक, खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

*(Handwritten signature)*


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 463 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूँकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 19150 दिनांक 27/03/2023 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।



## क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दीनदयाल नगर, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, ग्वालियर

ई-मेल - ropcb-gwalior@mp.gov.in, romppcb\_gwalior@rediffmail.com Ph. 0751-2472020



क्रमांक 989 /क्षेकाप्रनिबो/ग्वा/2025

ग्वालियर, दिनांक 05/5/2025

प्रति,

अधिष्ठाता,

मेसर्स विनीता यादव माइन,

खसरा न. 3717/2, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,

तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर।

ई-मेल : vinitayada@gmail.com

मोबाईल : 9425121704

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981की धारा 21(4) के तहत स्टोन बोल्डर माइन को जारी सम्मति रद्द करने संबंधी आदेश।

संदर्भ:- 1. मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक, खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर को केशर का संचालन बंद करने हेतु जारी निर्देश पत्र क्र. 463 दिनांक 18.02.2025।

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है:-

1. यह कि, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत हुआ है। बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत समस्त उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को दूषित जल के निस्त्राव तथा वायु प्रदूषकों के उज्सर्जन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्मति प्राप्त करना, सम्मति का नियमित रूप से नवीनीकरण कराना प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं की स्थापना करना, निस्त्राव एवं उत्सर्जन को निर्धारित मानक सीमा तक उपचारित करना, उपचारित निस्त्राव का परिसर में उपयोग सतत शून्य निस्त्राव की स्थिति का पालन करना वैधानिक अनिवार्यता है।
3. यह कि, आपकी स्टोन बोल्डर माइन जो कि घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ,, तहसील डबरा जिला ग्वालियर में स्थित भूमि खसरा क्र. 3717/2, कुल रकवा 1.500 हैक्टेयर में संचालित है, को बोर्ड द्वारा प्रदत्त सम्मति दिनांक 12/06/2027 तक है।
4. यह कि आपकी खदान से उत्खनित बोल्डर कृशिंग हेतु मेसर्स मंगलम माइनिंग एण्ड इन्फ्राटेक, खसरा न. 3630/3, घौंघा रोड, ग्राम व पोस्ट बिलौआ, तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर नामक स्टोन केशर में कृशिंग कर गिट्टी बनायी जाती है।

०/०


क्रमशः (2)

(2)

उक्त स्टोन केशर को बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ न करने के कारण पत्र क्र. 463 दिनांक 18.02.2025 द्वारा प्रक्रिया बंद करने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। चूँकि आपकी खदान उक्त स्टोन केशर से संबद्ध है तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में केशर का संचालन बंद होना आवश्यक है।

अतः आपकी खदान पर बोर्ड द्वारा जाबक क्र 18226 दिनांक 25/07/2022 द्वारा जारी सम्मति को पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के संरक्षण के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 27 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। कृपया बोर्ड की सम्मति के बिना खदान का संचालन ना किया जावे अन्यथा बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से



(आर.आर.सिंह सेंगर)

क्षेत्रीय अधिकारी

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर



प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख एवं प्रभारी तकनीकी संवर्ग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त खदान का रॉयल्टी पोर्टल निलंबित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
4. रिकॉर्ड कॉपी।

# ANNEXURE R-6

## Assessment of Days of violation for EC calculation

S. No. (1)	Name of stone crusher (2)	Status during first inspection		Closer Notice issuance date (5)	Status of second inspection		Closer Direction issuance date (8)	Date of compliance report submitted by crusher (9)	Status of third inspection		Period of violation (Inadequate APCD) (Days) (12)
		Date of inspection (3)	Violation found (Inadequate APCD) (Yes/No) (4)		Date of inspection (6)	Complied/Not Complied (7)			Date of Inspection (10)	Complied /Not Complied (11)	
1.	M/s. A.V.P. Infratech (Old Name - Arcon Mining Pvt. Ltd.) Survey No. 2776/1, Village Bilaua, Dabra, Gwalior	04.10.2024	Yes	10.10.2024	13.12.2024	Not complied	18.02.2025	28.02.2025	04.03.2025	Complied	147
2.	M/s. Teleworld Mines And Minerals Pvt. Ltd. Survey No. 2776/2K, 2776/2Kha, 2776/2G, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	04.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024, 04.03.2025	Not complied	05.03.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	171
3.	M/s. Vaibhav Stone Crusher Survey No. 2769/2/K, 2769/2/Kha,	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024, 07.02.2025	Not complied	18.02.2025	Not Submitted	25.06.2025	Not Complied	273




	Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior										
4.	M/s. Murarilal Sharma Stone Crusher (Ramdoot Stone Crusher), Khasra No. 2769/1/2, Village Bilaua, Tehsil Dabra District Gwalior	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	17.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	170
5.	M/s. Jai Maa Kela Devi Stone Industries, Survey No. 2767,2768,2769/1/ 1,3591/1, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	28.03.2025	04.07.2025	Complied	174
6.	M/s. Stonex Infra, Survey 3590/1/1, 3593/1/1, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	170
7.	M/s. Shree Jee Infracon, (Stone Crusher Unit), S.No. 3590/1, 3590/2, Village Billua, Tehsil	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	170

	Dabra, District Gwalior,										
8.	M/s. Stuti Stone Crushing Company, 3577, 3579/7, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	170
9.	M/s. Mahadev Stone Industries (Stone Crusher), (New Name –Shree Dauji Stone Crusher) Survey No. 3579/1, 3579/4, 3588/6, 3589/5, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	01.05.2025	24.05.2024	Not Complied	273
10.	Shri Siddhi Vinayak Stone And Crusher Survey No. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	14.05.2025	04.07.2025	Not complied	273
11.	Rajawat Stone Industries Survey No. 3623/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	28.03.2025 30.06.2025	04.07.2025	Not complied	273

12.	Reeturaj Stone Crusher Survey No. 117, Village Rafadpur, Tehsil Dabra District : Gwalior,	05.10.2024	Yes	10.10.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	25.03.2025	04.07.2025	Not complied	273
13.	Jai Dau Baba Stone Industries Survey No. 2731/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	17.02.2025	Not Submitted	11.03.2025	Not complied	242
14.	New Jai Daubaba Stone Crusher (Crusher) Survey No. 2727Min8, 2758, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	03.04.2025	04.07.2025	complied	149
15.	Shree Shyam Sarkar Stone Crusher Survey No. 2759, 2760/1, 2760/2, 2761, 3650, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	139
16.	Om Shri Stone Crusher (Crusher) Survey No. 3647- 3649, 3651, 3595, 2763, Village Bilaua, Tehsil	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	17.02.2025	28.03.2025	04.07.2025	Complied	143

	Dabra, District Gwalior										
17.	Siddhi Vinayak Stone Crusher Survey No. 3596/1, 3595/3, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	17.02.2025	19.03.2025 27.03.2025	04.07.2025	Not complied	242
18.	Shri Nathji Infrastructure Survey No. 3646, 3647, 3671, 3596/2/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	17.02.2025	Not Submitted	11.03.2025	Not Complied	241
19.	M/s. DDA Stone Crusher, Survey No. 3596/2/2, 3642, 3643, 3644/2, 3645, 3673, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	04.03.2025 (Compliance Report Submitted on 28.11.2025)	Complied	-	-	-	Complied	22
20.	Ganesh Stone Crusher Survey No. 3605/2/1, 3606/3/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	17.02.2025	28.03.2025	04.07.2025	Not complied	242
21.	M/s. Sarvodaya Manufacturer & Contractor, Survey No. 3605/2/2,	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	17.02.2025	25.03.2025	25.03.2025	Complied	140

	Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior										
22.	M/s. Shri Sai Kripa Stone Crusher And Grit Suppliers, Survey No. 3707/1, 3707/3, 3629/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	05.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	28.03.2025	04.07.2025	Complied	143
23.	M/s. Shiv Shankar Stone Industry, Survey No. 3609/1, 3609/5, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	14.01.2025 (Compliance Report submitted on 03.01.2025)	Complied	-	-	-	Complied	58
24.	M/s. Jai Sidhbaba Stone Crusher, Survay No . 3626/2, 3609/7, 3626/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	04.07.2025	Not complied	241
25.	Bari Stonex (Stone Crusher) Survey No. 3625/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	21.03.2025	04.07.2025	Complied	135
26.	M/s. Manglam Mining & Infratech, Survey No. 3630/3, Village	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	Not Submitted	11.03.2025	Not Complied	241

	Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior										
27.	M/s. Pavan Putra Enterprises, (Crusher Unit) Survey No. 3707, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	138
28.	M/s. Bhole Baba Grit Udyog, Survey No. 3624/2/5, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	138
29.	M/s. Girraj Stone Crusher, Survey No. 3624/2/6, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	138
30.	M/s. Balaji Stone Crusher (Dinesh Chandra Mangal), Survey No. 3624/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	19.12.2024	Not complied	18.02.2025	20.03.2025	04.07.2025	Complied	134
31.	M/s. Kamal Bajaj (Old name Jhulelal Granite), Survey No. 3624/2/3, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	28.03.2025	04.07.2025	Complied	142

32.	M/s. Hardol Granite (Unit-2), Survey No. 129, 131, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	26.03.2025	04.07.2025	Complied	140
33.	M/s. Hardol Granite, Survey NO. 129, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	26.03.2025	04.07.2025	Complied	140
34.	M/s. Guru Kripa Stone Crusher, Survey No. 132, 133, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	06.11.2024	Yes	07.11.2024	18.12.2024	Not complied	18.02.2025	24.03.2025	25.03.2025	Complied	138

**(i) Period of violation-**

**(A) In case of complied – Period from dated of first inspection to the date of submission of compliance report.**

**(B) In case not complied –Period from date of first inspection to 04.07.2025.**




**Calculation of Environmental Compensation of Stone Crusher units w.r.t. NGT matter O.A. 197/2025 (CZ)**

S. No.	Name of Stone Crusher	Pollution Index (PI)	Number of days for which violation take place (N)	Factor in Rupees (R)	Scale of Industry (S)	Location Factor (LF)	EC amount as per prescribed formula (In Rs.)
1.	M/s. A.V.P. Infratech (Old Name - Arcon Mining Pvt. Ltd.) Survey No. 2776/1, Village Bilaua, Dabra, Gwalior	80	147	250	0.500	1.00	1470000
2.	M/s. Teleworld Mines And Minerals Pvt. Ltd. Survey No. 2776/2K, 2776/2Kha, 2776/2G, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	171	250	0.500	1.00	1710000
3.	M/s. Vaibhav Stone Crusher Survey No. 2769/2/K, 2769/2/Kha, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	273	250	0.500	1.00	2730000
4.	M/s. Murarilal Sharma Stone Crusher (Ramdoot Stone Crusher), Khasra No. 2769/1/2, Village Bilaua, Tehsil Dabra District Gwalior	80	170	250	0.500	1.00	1700000

**Prescribed Formula- Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**




**Calculation of Environmental Compensation of Stone Crusher units w.r.t. NGT matter O.A. 197/2025 (CZ)**

5.	M/s Jai Maa Kela Devi Stone Industries, Survey No. 2767,2768,2769/1/1,3591/1, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	80	174	250	0.500	1.00	1740000
6.	M/s. Stonex Infra, Survey 3590/1/1, 3593/1/1, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	80	170	250	0.500	1.00	1700000
7.	M/s. Shree Jee Infracon, (Stone Crusher Unit), S.No. 3590/1, 3590/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	80	170	250	0.500	1.00	1700000
8.	M/s. Stuti Stone Crushing Company, 3577, 3579/7, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	80	170	250	0.500	1.00	1700000
9.	M/s. Mahadev Stone Industries (Stone Crusher), (New Name –Shree Dauji Stone Crusher) Survey No. 3579/1, 3579/4, 3588/6, 3589/5, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior,	80	273	250	0.500	1.00	2730000
10.	Shri Siddhi Vinayak Stone And Crusher	80	273	250	0.500	1.00	2730000


**Prescribed Formula- Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**




**Calculation of Environmental Compensation of Stone Crusher units w.r.t. NGT matter O.A. 197/2025 (CZ)**

	Survey No. 3579/5, 3583/2, 3588/5, 3589/5, 3579/3, 3579/6, 3583/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior						
11.	Rajawat Stone Industries Survey No. 3623/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	273	250	0.500	1.00	2730000
12.	Reeturaj Stone Crusher Survey No. 117, Village Rafadpur, Tehsil Dabra District : Gwalior,	80	273	250	0.500	1.00	2730000
13.	Jai Dau Baba Stone Industries Survey No. 2731/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	242	250	0.500	1.00	2420000
14.	New Jai Daubaba Stone Crusher (Crusher) Survey No. 2727Min8, 2758, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	149	250	0.500	1.00	1490000
15.	Shree Shyam Sarkar Stone Crusher Survey No. 2759, 2760/1, 2760/2, 2761, 3650, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	139	250	0.500	1.00	1390000

**Prescribed Formula- Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**

**Calculation of Environmental Compensation of Stone Crusher units w.r.t. NGT matter O.A. 197/2025 (CZ)**

16.	Om Shri Stone Crusher (Crusher) Survey No. 3647-3649, 3651, 3595, 2763, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	143	250	0.500	1.00	1430000
17.	Siddhi Vinayak Stone Crusher Survey No. 3596/1, 3595/3, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	242	250	0.500	1.00	2420000
18.	Shri Nathji Infrastructure Survey No. 3646, 3647, 3671, 3596/2/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	241	250	0.500	1.00	2410000
19.	M/s. DDA Stone Crusher, Survey No. 3596/2/2, 3642, 3643, 3644/2, 3645, 3673, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	22	250	0.500	1.00	220000
20.	Ganesh Stone Crusher Survey No. 3605/2/1, 3606/3/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	80	242	250	0.500	1.00	2420000
21.	M/s. Sarvodaya Manufacturer & Contractor, Survey No. 3605/2/2, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	80	140	250	0.500	1.00	1400000

**Prescribed Formula- Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**




**Calculation of Environmental Compensation of Stone Crusher units w.r.t. NGT matter O.A. 197/2025 (CZ)**

22.	M/s. Shri Sai Kripa Stone Crusher And Grit Suppliers, Survey No. 3707/1, 3707/3, 3629/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District : Gwalior	80	143	250	0.500	1.00	1430000
23.	M/s. Shiv Shankar Stone Industry, Survey No. 3609/1, 3609/5, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	58	250	0.500	1.00	580000
24.	M/s. Jai Sidhbaba Stone Crusher, Survey No . 3626/2, 3609/7, 3626/1, Village Bilaua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	241	250	0.500	1.00	2410000
25.	Bari Stonex (Stone Crusher) Survey No. 3625/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	135	250	0.500	1.00	1350000
26.	M/s. Manglam Mining & Infratech, Survey No. 3630/3, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	241	250	0.500	1.00	2410000
27.	M/s. Pavan Putra Enterprises, (Crusher Unit) Survey No. 3707, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	138	250	0.500	1.00	1380000
28.	M/s. Bhole Baba Grit Udyog, Survey No. 3624/2/5, Village	80	138	250	0.500	1.00	1380000

**Prescribed Formula- Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**




**Calculation of Environmental Compensation of Stone Crusher units w.r.t. NGT matter O.A. 197/2025 (CZ)**

	Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior						
29.	M/s. Girraj Stone Crusher, Survey No. 3624/2/6, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	138	250	0.500	1.00	1380000
30.	M/s. Balaji Stone Crusher (Dinesh Chandra Mangal), Survey No. 3624/2, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	134	250	0.500	1.00	1340000
31.	M/s. Kamal Bajaj (Old name Jhulelal Granite), Survey No. 3624/2/3, Village Billua, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	142	250	0.500	1.00	1420000
32.	M/s. Hardol Granite (Unit-2), Survey No. 129, 131, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	140	250	0.500	1.00	1400000
33.	M/s. Hardol Granite, Survey N0. 129, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	140	250	0.500	1.00	1400000
34.	M/s. Guru Kripa Stone Crusher, Survey No. 132, 133, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior	80	138	250	0.500	1.00	1380000

**Prescribed Formula- Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF**




**VAKALATNAMA**  
 [Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]  
**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL**  
**OA No197/2024(CZ)**

**IN THE MATTER OF:**

**Rameshwar Singh**

**APPLICANT**

**Versus**

**State of Madhya Pradesh & Ors.**


**RESPONDENTS**

I Rishiraj Singh Sengar named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me. In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me at ... on .....

**PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA**

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone	Status in case	Signature
Rishiraj Singh Sengar S/o Shri S.G.S. Sengar	Regional Office, M. P. Pollution Control Board, Housing Board Colony, Deen Dayal Nagar, Gwalior	romppcb_gwalior@rediffmail.com 0751-2472020	OIC, MP PCB	 <b>Regional Officer</b> M.P. Pollution Control Board Gwalior

Accepted

Name & Enrollment No.	Office Address	E-Mail Add.	Telephone	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony, Bhopal, 462016	parul.bhadoria04@gmail.com legalcell.pcb@mp.gov.in	8085977111	
MOHIT BUCH 1305/2017		legalcell.pcb@mp.gov.in	9685034578	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021		advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023		advshivamdwivedi20@gmail.com	8878471359	

**Report in OA 197-2024**

---

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>

Tue, Jul 08, 2025 01:40 PM

**Subject :** Report in OA 197-2024

 1 attachment

**To :** harnengt <harnengt@gmail.com>, dmgwalior  
<dmgwalior@nic.in>

**Cc :** parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the report dated 07.07.2025 of MP PCB in **OA 197-2024 Rameshwar Singh v State of MP & Ors.** This mail may be treated as proof of service.

Regards

Legal Section  
MP PCB

---

 **FINAL ATR OA 197-2024.pdf**  
29 MB

---